राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1432/2014/जयपुर
2. अपील संख्या – 1433/2014/जयपुर
3. अपील संख्या – 1434/2014/जयपुर
4. अपील संख्या – 1435/2014/जयपुर
5. अपील संख्या – 1436/2014/जयपुर
6. अपील संख्या – 1437/2014/जयपुर

मैसर्स सुन्दरम् फाईनेंस लि0,
205–206, संगम टावर, चर्च रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वार्ड–प्रथम, वृत्त द्वितीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :

श्री पंकज घीया,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.05.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त छः अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 18.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–प्रथम, वृत्त द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. इन छः प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी का सर्वेक्षण दिनांक 06.09.2012 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया गया। जांच के बाद अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 75(1) के तहत नोटिस जारी कर रिपजेज मोटर व्हीकल की बिक्री से सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिये। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा सम्बन्धित यूज्ड मोटर व्हीकल की बिक्री का विवरण पेश किया गया, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा ऋण की किश्त चुकाने में दोषी ऋणी ग्राहकों के वाहनों को कानूनी कार्यवाही के पश्चात उनके नाम से पूर्व पंजीकृत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण व्यवहारी के स्वयं के नाम से परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाता है एवं अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नवीन पंजीकरण के लिए विहित फीस परिवहन विभाग में जमा कराई जाती है। इस प्रकार कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण

लगातार.....2

स्वयं के नाम से करवाने पर पूर्ण स्वामित्व स्वयं व्यवहारी का हो जाता है। पूर्व पंजीकृत वाहनों का स्वामित्व स्वयं के नाम करवाने के पश्चात व्यवहारी कम्पनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में लिये गये वाहनों की बिक्री नीलामी/बोली के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को की जाती है। इस प्रकार प्रयुक्त वाहनों का विक्रय नये ग्राहकों को किये जाने के फलस्वरूप उनकी बिक्री कर योग्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर वैट अदा नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। इसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में व्यवहारी कम्पनी द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा कम्पनी व्यवहारी के जवाब से असंतुष्ट होकर निम्न तालिकानुसार कर, ब्याज एवं शास्तियां आरोपित की, जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 18.06.2014 को जारी किये जिनके विरूद्ध अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत् यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनका विवरण सारणी में दर्शाया गया है:–

अ. सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वित्तीय वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1432/14	175/अपी III/वेट	31.05.2013	06–07	3,470	2,741	6,940
1433/14	176/अपी III/वेट	31.05.2013	07–08	69,500	46,565	1,39,000
1434/14	177/अपी III/वेट	31.05.2013	08–09	1,17,701	64,736	2,35,402
1435/14	178/अपी III/वेट	31.05.2013	09–10	92,080	39,594	1,84,160
1436/14	179/अपी III/वेट	31.05.2013	10–11	61,000	26,230	1,22,000
1437/14	180/अपी III/वेट	31.05.2013	11–12	45,000	13,950	90,000

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि अपीलार्थी एक ऋण प्रदाता कम्पनी है इसके समस्त ऋण दिये जाने एवं वसूली के संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त ऋण वसूली को विक्रय नहीं माना जा सकता है। आगे उन्होने अपने तर्को में कहा कि अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने इन प्रकरणों को राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 11.04.2017 से आच्छादित होने की बात कही है।

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

7. उभयपक्षों के तर्को एवं उनकी बहस पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया साथ ही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स आई.सी.आई.सी. आई. बैंक लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत तृतीय,

लगातार.....3

जयपुर का ससम्मान अवलोकन किया।

8. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाहनों को कब्जे में लेकर निर्धारित फीस जमा करवा कर, अपने नाम वाहन पंजीकृत करवा कर, पुनः प्रतिफल के बदले वाहनों को किसी अन्य को विक्रय कर ऐसे क्रेता के नाम से वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी कं0 द्वारा किया गया कृत्य विक्रय की परिभाषा में आता है। इस कारण राजस्थान वेट अधिनियम के तहत अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी कर चुकाने के लिये दायी है।

9. जहॉ तक विक्रय राशियों को विवरणियों में नहीं दर्शाने पर शास्तियां आरोपण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158, सीटीओ बनाम कल्पतरू पावर ट्रासंमिशन एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1320/2013/सिरोही सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट लि0 निर्णय दिनांक 26.06.2014 तथा **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वीएसटी 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय** के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में जबकि व्यवहारी बैंक के समस्त संव्यवहार उनके लेखा पुस्तकों में दर्ज किये हुए है, अतः शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं हैं।

10. अतः माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में आरोपित शास्तियों को अपास्त किया जाना विधिक प्रतीत होता है। अतः शास्तियों के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय को इस सीमा तक अपास्त किया जाता है।

11. फलतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत छः अपीलें कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है तथा शास्तियों के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष